

प्रारूप-11

(वन भूमि मांग का औचित्य)

परियोजना का नाम :- मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 71/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 कि०मी०)।

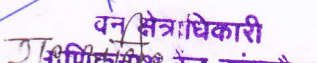
जनपद जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत राड़ागाड़ से टोला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 6.00 कि०मी० लम्बाई हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं० 522/111(2)/18-10 (एम०एल०ए०)/2017टी०सी० दिनांक 23.10.2018 द्वारा रू० 30.00 लाख की प्रथम चरण हेतु प्राप्त हुई है।

उक्त मार्ग के नव निर्माण हेतु समरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो०नि०वि० नई टिहरी द्वारा उनके पत्रांक 5118/945याता०-8/2019 दिनांक 31.07.2019 से स्वीकृत है। ग्राम राड़ा गाड़ ग्वाड़ एवं टोला ग्राम चारो ओर से सिविल एवं आरक्षित भूमि से घिरा है। राड़ागाड़ से टोला मोटर मार्ग के किसी भी स्थान से टोला तोक को जोड़ने हेतु वन भूमि की नितान्त आवश्यकता होगी। अतः आरक्षित भूमि की मांग न्यूनतम रहे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये ही सर्वेक्षण कार्य कराया गया है। ग्राम टोला तोक को राड़ागाड़ तक पी०एम०जी०एस०वाई० मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु यह प्रस्तावित संरेखण एक मात्र विकल्प है। क्षेत्र की टोपोग्राफी को देखते हुये मोटर मार्ग निर्माण हेतु अन्य विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र में चारों ओर सघन वन होने के कारण मोटर मार्ग निर्माण से हरियाली घनत्व में नाममात्र की ही कमी आयेगी मानक के अनुसार जो आबादी 1.500 कि०मी० लम्बाई से अधिक दूरी पर स्थित पर उसे असंयोजित माना जाता है, जबकि उक्त वर्णित ग्राम वर्तमान में मोटर मार्ग से लगभग 4-5 कि०मी० की पैदल दूरी पर स्थित है। वर्तमान में राड़ागाड़ ग्राम सभा में ग्वाड़ व टोला ग्राम के ग्रामीणों को जिला मुख्यालय टिहरी एवं ब्लॉक मुख्यालय कीर्तिनगर पैदल दूरी तय करनी पड़ती है, जिस वजह से लोगों को आवाजाही में समय अधिक लगता है, एवं जिला मुख्यालय टिहरी से आवश्यक सेवाओं का लाभ उठाने में ग्राम वासियों को समय के साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। इस मोटर मार्ग के बनने से राड़ागाड़ व टोला क्षेत्र का सम्पर्क जिला मुख्यालय, टिहरी से हो जायेगा व लगभग 1500 की जनसंख्या मार्ग निर्माण से लाभान्वित होगी। इस प्रकार उक्त ग्रामों को यातायात से जोड़ना औचित्यपूर्ण है।

अतः उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली आरक्षित वन भूमि वन भूमि 3.073 हे० सिविल भूमि 0.352 हे० (मक डिस्पोजल सहित), नाप भूमि 0.987 हे०, अर्थात् कुल 3.425 हे० वन भूमि हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रेषित किया जा रहा है।


सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर।


Executive Engineer
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर।


वन क्षेत्राधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग


उप प्रमुख वन अधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग


वन क्षेत्राधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
भूमि की रेती (टि० मा०)